ई–गवर्नेन्स सोसाईटी (आर0एल0ए0) ज्वाली का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 9/2005 से 3/2014

1 प्रारम्भिकः–

(क) हिमाचल प्रदेश सरकार, परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या टी0पी0टी0–एफ (1) 3/2000, ई–गवर्नेन्स दिनाँक 3.09.05 के अन्तर्गत प्रदेश सरकार की ई–गवर्नेन्स सोसाईटियों को परिवहन विभाग से सम्बन्धित निधियों का अंकेक्षण स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ई– गवर्नेन्स सोसाईटी ज्वाली के अवधि 09/2005 से 03/2014 के लेखाओं का वर्तमान एवं प्रथम अंकेक्षण इस विभाग के अनुभाग अधिकारी श्री मुकेश कुमार स्नेही द्वारा दिनांक 22.11.14 से 15.12.14 के दौरान ज्वाली में किया गया। ई–गवर्नेन्स सोसाईटी ज्वाली का गठन सभायें पंजीकरण, अधिनियम XXI, 1860 (हिमाचल प्रदेश संशोधित अधिनियम 1973) के अन्तर्गत दिनांक 19.04.04 को पंजीकरण संख्या 4121/2004 के अन्तर्गत हुआ। वर्तमान अंकेक्षण के दौरान आय की विस्तृत जाँच हेतु माह 10/05, 7/06, 11/08, 12/08, 3/10, 11/10, 11/11, 1/13 व 11/13 व व्यय की विस्तृत जाँच हेतु माह 11/05, 3/07, 6/07, 9/08, 3/10, 4/10, 4/11, 5/12 व 4/13 का चयन किया गया।

(ख) अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नलिखित अधिकारी ई0 गवर्नेन्स सोसाईटी ज्वाली के मुख्य प्रशासक के पद पर कार्यरत रहेः–

नाम	पदनाम	अवधि
सर्वश्री भरत खेड़ा	मुख्य प्रशासक	3.9.05 से 6.9.07
अश्वनी कपूर	मुख्य प्रशासक	6.9.07 से 18.1.08
कमलेश वंत	मुख्य प्रशासक	19.1.08 से 2.6.09
आर0एस0 गुप्ता	मुख्य प्रशासक	4.6.09 से 31.5.12
के0आर0 गुप्ता	मुख्य प्रशासक	1.6.12 से 4.1.13
सी पाल रासु	मुख्य प्रशासक	4.1.13 से लगातार
राकेश शर्मा	प्रशासक	3.9.05 से 16.4.07
डी0सी0 राणा	प्रशासक	16.4.07 से 10.1.11
सन्दीप सूद	प्रशासक	10.1.11 से 14.2.11
श्रीमती कुमुद सिंह	प्रशासक	14.2.11 से 30.4.11
सर्वश्री संदीप सूद	प्रशासक	30.4.12 से 4.2.13
डा0 हरीश गज्जू	प्रशासक	4.2.13 से लगातार

(ग) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

क्र0सं0	पैरा सं0	विवरण	₹ लाखों में
1	6	केन्द्रीय ईकाई में राशि का कम जमा करवाने बारे	4.86
2	7	हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट/रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हेतु सेवा शुल्क की वसूली न करने बारे	8.53
3	9	सोसाईटी द्वारा बिजली एवं टेलीफोन बिलों की राशि का अनियमित व्यय करने बारे	0.64
4	10	ई–गवर्नेन्स निधि से बिजली के बिलों अधिक भुगतान करने बारे	0.34
5	12	बिना कुटेशनें आमन्त्रित किए खरीद करने बारे	1.38
6	14	Air Conditioners तथा वाटर कूलर की खरीद पर व्यय की गई राशि से सम्बन्धित अनियमितताऐं	0.69
7	16	खुले बाजार से स्टेशनरी की खरीद करने से सम्बन्धित अनियमितताएं	0.59

(घ) यह अंकेक्षण प्रतिवेदन ई–गवर्नेन्स सोसाईटी ज्वाली द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं व अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। उक्त संस्था द्वारा प्रदान की गई किसी प्रकार की गलत सूचना अथवा सूचना जो प्रदान नहीं की गई है, की स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग जिम्मेवारी लेने से इन्कार करता है।

2 अंकेक्षण शुल्कः–

ई–गवर्नेन्स सोसाईटी ज्वाली के अवधि 9/05 से 3/14 के लेखों के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क वास्तविक कार्य दिवसों के आधार पर कुल ₹13000/– आंका गया है। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को राजकीय कोष में जमा करवाने के लिए इसे निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–9 को रेखाकिंत बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भेजने हेतु अनुभाग अधिकारी की अंकेक्षण अधियाचना संख्या एम0के0 (काँगड़ा–वृत) 2014/–293 दिनांक 15.12.14 द्वारा उप–मण्डल अधिकारी (ना0) ज्वालो से अनुरोध किया गया। इस राशि को संस्थाध्यक्ष द्वारा बैंक ड्राफ्ट संख्या 557367 दिनांक 31.01.15 के माध्यम से प्रेषित कर दिया गया है।

3 वित्तीय स्थितिः–

ई–गवर्नेन्स सोसाईटी ज्वाली द्वारा परिवहन की गतिविधियों से सम्बन्धित सेवाओं के अतिरिक्त अन्य गतिविधियों/सेवाएं भी प्रदान की जा रही है, जैसे कि विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र जारी करना इत्यादि तथा इन सेवाओं को प्रदान करने पर प्राप्त सेवा शुल्क का परिवहन की गतिविधियों से सम्बन्धित सेवाओं के सेवा शुल्क सहित इकटठा एक रोकड़ बही में दर्ज

किया गया है व सम्पूर्ण राशि को भी के0सी0सी0 बैंक के बचत खाते में जमा करवाया गया। इसके अतिरिक्त उपरोक्त गतिविधियों से प्राप्त आय में से पूरा व्यय भी एक ही खाते से किया गया है। तदानुसार ई0 गवर्नेन्स सोसाईटी द्वारा इन समस्त गतिविधियों से सम्बन्धित तैयार की गई इकटठी वित्तीय स्थिति **परिशिष्ट "क"** पर संलग्न है। अतः परामर्श दिया जाता है कि अंकेक्षण अवधि की तथा इसके पश्चात परिवहन की गतिविधियों से प्राप्त सेवा शुल्क तथा उसमें से किए गए व्यय का अलग से लेखा जोखा तैयार करके तथा परिवहन की गतिविधियों से सम्बन्धित वित्तीय स्थिति अलग से तैयार करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4 निवेशः–

ई–गवर्नेन्स सोसाईटी ज्वाली द्वारा दिनांक 31.3.14 तक ₹3 लाख का सावधि जमा के अन्तर्गत निवेश किया गया जिसका ब्यौरा इस प्रकार से हैः–

खाता सं0	निवेश तिथि	निवेश राशि	परिपक्वता तिथि	परिपक्वता राशि	टिप्पणी
50060066344	26.8.11	300000	26.8.14	386106	पुनः निवेशित

ई–गवर्नेन्स सोसाईटी ज्वाली द्वारा अंकेक्षण के दौरान रोकड़ बही में उक्त सावधि जमा में निवेशित केवल मूल राशि अर्थात ₹300000/– दर्ज की गई। अतः सावधि जमा राशि पर अर्जित ब्याज की ₹86106/– को परिपक्वता पर रोकड़ बही में दर्ज किया जाए।

5 रोकड़ बही तथा अन्य लेखो का रख–रखाव नियमानुसार न किया जानाः–

हिमाचल प्रदेश सरकार, परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या टी0पी0टी0–एफ (1) 3/2000, ई–गवर्नेन्स दिनाँक 3.09.05 की धारा 3 (ए) के अनुसार सोसाईटी द्वारा नियमानुसार लेखों का रख–रखाव सुनिश्चित करते हुए प्रतिवर्ष Balance Sheet तैयार की जानी अपेक्षित होती है परन्तु सोसाईटी द्वारा न तो रोकड़ बही का निर्माण सही ढ़ंग से किया गया है और न ही Ledgers बनाए गए है। इसके अतिरिक्त सोसाईटी द्वारा Balance Sheet भो तैयार नहीं की गई है। अंकेक्षण के दौरान रोकड़ बही की जाँच में पाया गया कि जब भी रोकड़ बही में कोई गलती हो जाती है अथवा किसी मद का गलत ईन्द्राज हो जाता है तो ई–गवर्नेन्स सोसाईटी द्वारा उसे काट कर एवं ठीक करके मद को पुनः लिखने के स्थान पर गलत इन्द्राज के उपर ही उसे ठीक कर दिया जाता है जो एक अनुचित प्रक्रिया है। इसके अतिरिक्त रोकड़ बही की जाँच में यह भी पाया गया कि प्रत्येक माह के अन्त मे कोई मासिक विवरण नहीं दिया गया है। रोकड़ बही में पाई गई उक्त अनियमितताओं को उप–मण्डल अधिकारी (ना0) एव प्रशासक ई–गवर्नेन्स सोसाईटी के ध्यानार्थ अंकेक्षण अधियाचना संख्या 287 दिनांक 3.12.14 द्वारा लाया

गया जिसके उत्तर में उनके द्वारा समस्त अभिलेख ठीक ढ़ंग से तैयार करने का आश्वासन दिया। अतः परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में जब कभी भी रोकड़ बही में किसी इन्द्राज को ठीक करना है तो पुरानी प्रविष्टि को काट कर तथा नई प्रविष्टि को पुनः लिखकर एवं सक्षम अधिकारी इसे प्रतिहस्ताक्षरित करवाकर इसका पुनः ईन्द्राज किया जाए। इसके अतिरिक्त रोकड़ बही में प्रत्येक माह में प्राप्त की गई कुल आय तथा माह के दौरान किए गए कुल व्यय के विवरण के उपरान्त अन्तशेष का भी विवरण देकर हस्तगत राशि से सम्बन्धित प्रमाण पत्र व बैंक में जमा राशि का विवरण भी दिया जाए तथा रोकड़ बही के शेष का बैंक से मिलान किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित Ledgers तथा Balance Sheet भी समय–2 पर तैयार की जाए व जाँच हेतु आगामी अंकेक्षण मे ंप्रस्तुत की जाए।

6 केन्द्रीय ईकाई में ₹486937/– का कम जमा करवाने बारेः–

ई–गवर्नेन्स सोसाईटी की दिनांक 24.4.08 की बैठक की मद संख्या 6.9 के अनुसार प्रत्येक सोसाईटी द्वारा कुल आय का 25**%** भाग केन्द्रीय ईकाई में जमा करवाया जाना अपेक्षित था। अंकेक्षण अवधि 3.9.05 से 31.3.14 के दौरान (वित्तीय स्थिति अनुसार) ई–गवर्नेन्स सोसाईटी ज्वाली द्वारा कुल ₹5119730/– की आय अर्जित की गई जिसके 25 प्रतिशत भाग की ₹1279932 केन्द्रीय ईकाई धर्मशाला में जमा करवानी अपेक्षित थी, परन्तु अंकेक्षणाधीन अवधि में सोसाईटी द्वारा **परिशिष्ट "ख"** के अनुसार केवल ₹792995/– ही केन्द्रीय पूल में जमा करवाई गई। इस प्रकार सोसाईटी द्वाराकेन्द्रीय ईकाई धर्मशाला म ₹1279932–₹792995=₹486937 ें कम जमा करवाई गई जिसके कारण स्पष्ट किए जाएं तथा अविलम्ब कम जमा राशि को केन्द्रीय ईकाई में जमा करवाया जाए। इसके अतिरिक्त भविष्य में ही वसूली गई राशियों में से 25 प्रतिशत भाग को समय पर (केन्द्रीय ईकाई) में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए व की गइ कार्रवाई से आडिट को अवगत करवाया जाए।

7 हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट/रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हेतु ₹853000/– के सेवा शुल्क की वसूली न करने बारेः–

चर्चा के दौरान अंकेक्षण दल को बताया कि ई–गवर्नेन्स सोसाईटी ज्वाली द्वारा वाहनों के हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सेवा शुल्क प्रति वाहन ₹100 निर्धारित किया गया था। अभिलेख में पाया गया कि सोसाईटी द्वारा वाहनों में हाई सिक्योरिटी प्लेट बदलने हेतु माह 3/14 तक 8530 पुराने वाहनों को नए पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किए गए परन्तु उनसे कोई सेवा शुल्क की वसूली नहीं की गई। इस प्रकार (8530X100 =₹853000) की वसूली नहीं की गई। इस विषय को अनुभाग अधिकारी की अधियाचना संख्या

288 दिनांक 3.12.14 द्वारा प्रशासक ई–गवर्नेन्स सोसाईटी एवं उप–मण्डल अधिकारी (ना0) के समक्ष उठाया गया, परन्तु उनके द्वारा कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया गया। अतः हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट बदलने हेतु सेवा शुल्क को ₹853000/– की वसूली न करने के कारण स्पष्ट किए जाए तथा इस प्रकरण में संस्था स्तर पर जाँच करके वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8 राजकीय कोष में ₹277/– अधिक जमा करवाया जानाः–

हिमाचल प्रदेश सरकार, परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या टी0पी0टी0–एफ (1) 3/2000, ई–गवर्नेन्स दिनाँक 3.09.05 के पैरा 3 (बी) के अनुसार सेवा शुल्क के रूप में प्राप्त की गई कुल वसूलियों का 25 प्रतिशत भाग राजकीय कोष में जमा करवाया जाना अपेक्षित होता है। अंकेक्षणाधीन अवधि 3.9.05 से 31.3.14 के दौरान सोसाईटी द्वारा सेवा शुल्क (परिवहन गतिविधियां) के रूप में निम्नविवरणानुसार कुल ₹3855956/– की वसूली की गई थी।

क्र0सं0	अवधि	सेवा शुल्क
1	3.9.05 से 3/06	153500
2	4/06 से 3/07	263650
3	4/07 से 3/08	303850
4	4/08 से 3/09	381912
5	4/09 से 3/10	470960
6	4/10 से 3/11	512700
7	4/11 से 3/12	515100
8	4/12 से 3/13	540304
9	4/13 से 3/14	713980
	कुल वसूल की गई राशि	**₹3855956**

उपरोक्त राशि के 25 प्रतिशत भाग ₹963989/– राजकीय कोष में जमा करवाया जानी अपेक्षित थी परन्तु अंकेक्षणाधीन अवधि में सोसाईटी द्वारा निम्नविवरणानुसार ₹964266/– राजकीय कोष में जमा करवाई गई।

क्र0सं0	चालान संख्या व दिनांक	राशि
1	02 दिनांक 16.9.08	180527
2	12 दिनांक 13.7.09	95478
3	12 दिनांक 17.4.10	117740
4	08 दिनांक 04.05.11	128175
5	06 दिनांक 08.05.12	128775
6	17 दिनांक 3.04.13	135076
7	11 दिनांक 06.06.14	178495

योग 964266

इस प्रकार उपरोक्त विवरणानुसार ₹964266–₹963989=₹277 राजकीय कोष में अधिक जमा करवाए गए जिसके कारण स्पष्ट किए जाएं तथा संस्था स्तर पर आन्तरिक जांच करके भविष्य में 25**%** भाग करवाते समय ₹277/– को समायोजित करके अपेक्षित राशि ही राजकीय कोष में जमा करवानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से आडिट को अवगत करवाया जाए।

9 सोसाईटी द्वारा बिजली एवं टेलीफोन बिलों की ₹64581/– का अनियमित व्यय करने बारेः–

जाँच के दौरान पाया गया कि सोसाईटी द्वारा निम्नविवरणानुसार कार्यालय इत्यादि से सम्बन्धित बिजली एवं टेलीफोन के बिलों को ₹64581 का भुगतान इस निधि से किया गया जोकि हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या टी0पी0टी0–एफ (1) 3/2000, ई–गवर्नेन्स दिनाँक 3.09.05 के अनुसार इस निधि पर वैध प्रभार नहीं है। अतः व्यय की गई इन राशियों की प्रतिपूर्ति उक्त निधि में की जाए अथवा सक्षम अधिकारी से स्वीकृति लेने के उपरान्त इसे नियमित करवाया जाए और अनुपालना से आडिट को अवगत करवाया जाए।

माह/वर्ष	किसे भुगतान किया	राशि	विवरण
11/05	हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड ज्वाली	8152	बिजली बिल
11/05	एस0डी0ओ0/बी0एस0एन0एल0	5630	टेलीफोन बिल
1/06	हि0प्र0 बिजली बोर्ड ज्वाली	7314	बिजली बिल
1/06	एस0डी0ओ0/बी0एस0एन0एल0	5583	टेलीफोन बिल
2/06	हि0प्र0 बिजली बोर्ड ज्वाली	13283	बिजली बिल
3/06	एस0डी0ओ0/बी0एस0एन0एल0	2918	टेलीफोन बिल
4/06	–यथोपरि–	664	–यथोपरि–
4/06	हि0प्र0 बिजली बोर्ड ज्वाली	1379	बिजली बिल
5/06	एस0डी0ओ0/बी0एस0एन0एल0	4328	टेलीफोन बिल
5/06	हि0प्र0 बिजली बोर्ड ज्वाली	8936	बिजली बिल
8/06	–यथोपरि–	4455	–यथोपरि–
12/08	एस0डी0ओ0/बी0एस0एन0एल0	1939	टेलीफोन बिल
	योग	**₹64581**	

10 ई–गवर्नेन्स निधि से बिजली के बिलों को ₹34606 का अधिक भुगतान करना :– **(क)** जिलाधीश कांगड़ा स्थित धर्मशाला के पत्र संख्या 321/ई0जी0–29 दिनांक 19.7.06 के अनुसार बिजली बिल का 25 प्रतिशत भाग ही ई–गवर्नेन्स सोसाईटी द्वारा भुगतान किया जाना अपेक्षित था जबकि सोसाईटी द्वारा कुल बिल राशि का 30 प्रतिशत भाग

भुगतान उक्त निधि से किया गया। अतः 25 प्रतिशत के स्थान पर 30 प्रतिशत भाग भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व ₹16265/– उचित स्त्रोत से वसूल कर इस निधि में जमा किया जाए व अनुपालना से आडिट को अवगत करवाया जाए।

माह/वर्ष	कुल बिल की राशि	भुगतान की गई 30 प्रतिशत हिस्सा	भुगतान योग्य 25 प्रतिशत हिस्सा	अधिक भुगतान
6/07	7418	2225	1855	370
9/07	7924	2377	1981	396
7/08	11493	3448	2873	575
6/09	26784	8035	6696	1339
7/09	10227	3068	2557	511
9/11	198477	59543	49619	9924
3/10	30055	10000	7514	2486
5/10	13274	3982	3318	664
			योग	**₹16265**

(ख) इसके अतिरिक्त जाँच में यह भी पाया गया कि सोसाईटी द्वारा निम्न प्रकरणों में पूर्ण राशि का भी भुगतान किया गया है। परिणामस्वरूप निम्नविवरणानुसार सोसाईटी द्वारा ₹18341/– का अधिक भुगतान किया गया जिसका औचित्य स्पष्ट करते हुए अधिक भुगतान की गई राशि को उचित स्त्रोत से वसूल कर इसे निधि में जमा करवाया जाए व अनुपालना से आडिट को अवगत करवाया जाए।

माह/वर्ष	विभाग	कुल राशि	25 प्रतिशत भुगतान योग्य राशि	अधिक भुगतान
11/06	एस0डी0ओ0, हि0प्र0 बिजली बोर्ड ज्वाली	5917	1479	4438
8/06	–यथोपरि–	4455	1114	3341
3/07	–यथोपरि–	14082	3520	10562
			कुल अधिक भुगतान	**₹18341**

11 बिजली/टेलीफोन के बिलों के विलम्ब भाुल्क की ₹224/– का भुगतान करना :–

अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया गया कि सोसाईटी द्वारा निम्न विवरणानुसार बिजली व टेलीफोन के बिलों द्वारा भुगतान विलम्ब शुल्क की ₹224/– सहित किया जिसकी उचित स्त्रोत से वसूली करके इसे निधि में जमा करवाया जाए व अनुपालना से आडिट को अवगत करवाया जाए।

विवरण	Meter No./Telephone	Due date	Payment Date	Due Date Amount	After due date Amt.	Excess payment
बिजली बिल	F-1177	26.9.05	9.11.05	1946	1966	20
टेलीफोन बिल	256614	27.09.05	21.11.05	1445	1485	40
–यथोपरि–	256614	28.11.05	29.11.05	500	510	10
बिजली बिल	F-1177	26.12.05	24.02.06	1386	1400	14
टेलीफोन बिल	264310	27.01.06	28.01.06	3632	3732	100
–यथोपरि–	264251	27.01.06	28.01.06	1811	1851	40
					योग	₹224

12 बिना कुटेशनें आमन्त्रित किए ₹138750/– की खरीद करने बारेः–

एच0पी0एफ0आर0 2009 के नियम 97 के अनुसार ₹3000/– से अधिक तथा इससे पूर्व ₹1000 से अधिक की खरीद कुटेशनों के आधार पर की जानी अपेक्षित होती है परन्तु संस्था द्वारा निम्नविवरणानुसार खरीद कुटेशनों के आधार पर नहीं की गई है जबकि कुटेशनों के आधार पर खरीद करके बाजारी प्रतियोगिता का लाभ उठाया जा सकता था। अतः उक्त क अभाव में इस खरीद हेतु भुगतान की गई दरों की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः बिना कुटेशनों के खरीद करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से इस अनियमितता को नियमित करवाकर अनुपालना से आडिट को अवगत करवाया जाए।

फर्म का नाम	विवरण	बिल नं0	दिनांक	राशि
मै0 विटस एण्ड वाईटस इनफोटेक जसूर	स्टेशनरी	204	11.08.08	3518
–यथोपरि–	–यथोपरि–	291	31.10.08	5712
–यथोपरि–	–यथोपरि–	306	10.11.08	6864
–यथोपरि–	–यथोपरि–	326	29.11.08	6199
मै0 इमेज टेक सिस्टम पठानकोट	5 काटरेज	434	20.08.08	5325
मै0 विटस एण्ड वाईटस जसूर	स्टेशनरी	369	19.01.09	4772
–यथोपरि–	–यथोपरि–	408	27.02.09	5754
–यथोपरि–		463	28.03.09	8772
–यथोपरि–	–यथोपरि–	20	29.04.09	5649

–यथोपरि–	–यथोपरि–	38	04.06.09	3630
मै0 नील कमल स्टेशनरी ज्वाली	–यथोपरि–	13	31.10.09	4356
–यथोपरि–	–यथोपरि–	15	31.10.09	4669
मै0 कमल फोटो स्टेट ज्वाली	–यथोपरि–	511	27.02.10	7400
मै0 सन स्टार सेल्ज कोरपोरेशन शिमला	प्रासेसिंग यूनिट व हीट रोलर	1981	07.09.10	22930
मै0 नेटवर्क सोल्यूशन पठानकोट	18 Exide Battery	526	02.09.10	43200
			योग	**₹138750**

13 भुगतान की गई ₹194784/– के बिल/वाउचर अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारेः–

अंकेक्षण के दौरान निम्नलिखित बिल/वाउचर अंकेक्षण में आवश्यक जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए जिसके अभाव में व्यय की गई राशि की पुष्टि अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी। इस विषय पर एस0डी0एम0 ज्वाली से चर्चा की गई व उन्होंने आडिट को आश्वासन दिलाया कि यह बिल/वाउचर ढूंढ़कर आगामी आडिट के दौरान प्रस्तुत कर दिए जायेगें। अतः इन बिल/वाउचरों को न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इन्हें आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

माह/वर्ष	वा0सं0	फर्म का नाम	राशि
6/08	शून्य	मै0 हि0प्र0 इलैक्ट्रोनिक को0 शिमला	8200
12/08	शून्य	मै0 वेलकम बुक डिपो ज्वाली	4413
02/09	शून्य	फर्म का नाम नहीं दर्शाया है	13245
06/09	शून्य	–यथोपरि– (केवल तहसील कर्यालय हेतु दर्शाया है)	31903
08/09	शून्य	–यथोपरि–	10170
09/09	शून्य	–यथोपरि–	7500
11/09	शून्य	–यथोपरि–	25238
12/09	शून्य	–यथोपरि–	10825
2/10	शून्य	–यथोपरि–	21195
3/10	शून्य	–यथोपरि–	6760
3/10	शून्य	मै0 सुधीर स्टील ई0 जसूर	40654
4/10	शून्य	तहसीलदार कार्यालय दर्शाया है	14681
		योग	**₹194784**

14 Air Conditioners तथा वाटर कूलर की खरीद पर व्यय की गई ₹69300 से सम्बन्धित अनियमितताऐं:–

जाँच के दौरान पाया गया कि ई–गवर्नेन्स सोसाईटी द्वारा दिनांक 29.3.10 को मै0 कुलदीप इन्टरप्राईजेज जसूर से उनके बिल संख्या 19040, 19225 दिनांक 26.3.10 के अन्तर्गत एस0डी0एम0 कार्यालय हेतु दो Air Conditioners व एक वाटर कूलर की खरीद हेतु ₹69300 का भुगतान किया गया। एस0डी0एम0 कार्यालय हेतु खरीद गए उक्त Air Conditioners एवं वाटर कूलर पर व्यय प्रदेश सरकार की अधिसूचना दिनाँक 3.9.05 के अनुसार उक्त निधि पर उचित प्रभार प्रतीत नहीं होता है जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए। इसके अतिरिक्त ई–गवर्नेन्स सोसाईटी की धारा 5 (B) (ii) व Rules 8.12 के अनुसार उक्त खरीद के लिए मुख्य प्रशासक एवं जिलाधीश कांगड़ा की स्वीकृति लेनी अपेक्षित थी, जोकि नहीं ली गई। आडिट द्वारा जब इस बारे सम्बन्धित प्रभारी से पूछा गया तो उन्होंने अंकेक्षण को अवगत करवाया कि उक्त के लिए मौखिक रूप से स्वीकृति लो गई है जोकि नियमानुसार उचित नहीं है। अतः उक्त के लिए लिखित में स्वीकृति न लेने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अब उक्त खरीद की कार्योत्तर स्वीकृति लेने के उपरान्त इसे नियमित करवाया जाए व की गई कार्रवाई से आडिट को अवगत करवाया जाए व भविष्य में भी इस प्रकार की खरीद से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति लेना सुनिश्चित किया जाए।

15 कार्य का नामः– Providing Computer wiring in office

संविदाकार का नामः– मै0 संजीव कालिया फतेहपुर

बिल नं0ः– 175 दिनांक 11.9.09

राशिः– ₹33175, माह 10/09

उपरोक्त कार्य से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच करने पर निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईः–

(क) सोसाईटी द्वारा उक्त कार्य करवाने तथा कार्य करवाने हेतु क्रय करने से सम्बन्धित प्राकलन तैयार नहीं किया गया। अतः बिना प्राकलन के निर्माण कार्य करवाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

(ख) उक्त कार्य बिना निविदाएं/टैण्डर आमन्त्रित के करवाया गया है। इस प्रकरण बिना कुटेशनों व निविदाएं/टैण्डर आमन्त्रित किए कार्य करवाकर भुगतान की गई दरों की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः बिना कुटेशन/टैण्डर के उक्त कार्य करवाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से उक्त अनियमितता को नियमित करवाकर अनुपालना से आडिट को अवगत करवाया जाए।

15 अधिशासी अभियन्ता विद्युत मण्डल को भुगतान की गई ₹63850/– के उपयोगिता प्रमाण–पत्र न प्रस्तुत करने बारेः–

जाँच में पाया गया कि "Replacement of old cable in office building Jawali के लिए दिनांक 14.10.13 को अधिशासी अभियन्ता विद्युत मण्डल पालमपुर को चैक नं0 644086 द्वारा ₹63850/– का भुगतान किया गया परन्तु 1 वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी उक्त राशि से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र विद्युत मण्डल से प्राप्त नहीं किए गए जोकि उचित नहीं है। अतः ₹63850/– के उपयोगिता प्रमाण पत्र शीघ्र सम्बन्धित विभाग से प्राप्त किए जाएं व अनुपालना से आडिट को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

16 खुले बाजार से ₹59895/– की स्टेशनरी की खरीद करने से सम्बन्धित अनियमितताएंः–

स्टेशनरी की खरीद पर किए गए व्यय से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि सोसाईटी द्वारा निम्नविवरणानुसार स्टेशनरी की खरीद हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग से न करके खुले बाजार से की जोकि अनियमित है। यदि किसी कारणवश स्टशनरी की खरीद खुले बाजार से भी करनी थी तो भी यह खरीद हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग से अनापति पत्र प्राप्त करके की जानी अपेक्षित थी। अतः सोसाईटी द्वारा स्टेशनरी की खरीद बिना अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त किए खुले बाजार से करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए और भविष्य में स्टेशनरी की खरीद हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग से ही की जानी सुनिश्चित की जाए।

टैस्ट जाँच

दिनांक	फर्म का नाम	बिल नं0	राशि
11.8.08	मै0 विटस एण्ड वाईटस इन्फोटेक जसूर	204	3518
31.10.08	–यथोपरि–	291	5712
10.11.08	–यथोपरि–	306	6864
29.11.08	–यथोपरि–	326	6199
31.1.09	–यथोपरि–	369	4772
27.2.09	–यथोपरि–	408	5754
28.3.09	–यथोपरि–	463	8772
29.4.09	–यथोपरि–	20	5649
4.6.09	–यथोपरि–	38	3630
31.10.09	मै0 नील कमल स्टेशनर्ज ज्वाली	13	4356
31.10.09	–यथोपरि–	15	4669
		योग	**₹59895**

17 स्टॉक रजिस्टरों का निर्माण नियमानुसार न करनाः–

स्टॉक रजिस्टरों की जांच के दौरान पाया गया कि ई–गवर्नेन्स सोसाईटी द्वारा स्टॉक रजिस्टरो ंका निर्माण सोसाईटी के नियम संख्या 9.2 (a) व (b) के अनुसार तथा इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा जारी किए दिशा निर्देशों के अनुसार नहीं रखा जा रहा है, जोकि उचित नहीं है जिसके कारण Non-Consumable मदो ंव Consumable items की सही स्थिति ज्ञात नहीं की जा सकी। अतः स्टॉक रजिस्टरों को उक्त नियमों के अनुसार तैयार न करने का आचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में स्टॉक रजिस्टरो ंका निर्माण नियमानुसार किया जाना सनिश्चित किया जाए एवं अनुपालना से आडिट को अवगत करवाया जाए।

18 स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न करने बारेः–

ई–सोसाईटी के नियम संख्या 9.4 के अनुसार स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन प्रतिवर्ष करवाना अनिवार्य है परन्तु जॉंच में पाया गया कि वर्तमान अंकेक्षण के दौरान तक सोसाईटी द्वारा स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन नियमानुसार नहीं करवाया गया जोकि उचित नहीं है। अतः स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन नियमानुसार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अनुपालना से आडिट को अवगत करवाया जाए।

19 लाईसैन्स फार्म के क्रय विक्रय से सम्बन्धित रिकार्ड न प्रस्तुत करने बारेः–

अंकेक्षण द्वारा जॉंच में पाया गया कि सोसाईटी द्वारा "Sale of Farm" से आय अर्जित की गई है परन्तु इन फार्मों को क्रय करने व इन फामों से सम्बन्धित बिक्री का पूर्ण रिकार्ड अंकेक्षण म उपलब्ध नहीं करवाया गया जिस कारण फार्मों की खरीद व बिक्री की पूर्ण प्रक्रिया तथा बिक्री की दरो इत्यादि की जॉंच अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी। अतः उक्त रिकार्ड को अंकेक्षण में उपलब्ध न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व पूर्ण रिकार्ड को आगामी आडिट में सत्यापन हेत प्रस्तुत किया जाए।

20 विविधः–

केन्द्रीय ईकाई धर्मशाला से समय–2 पर ई–गवर्नेन्स सोसाईटी (RLA) ज्वाली को जारी की गई विभिन्न मदों तथा ई–गवर्नेन्स सोसाईटी (RLA) ज्वाली से केन्द्रीय ईकाई धर्मशाला को समय–2 पर केन्द्रीय ईकाई के हिस्से के रूप में भेजी गइ राशि का मिलान केन्द्रीय ईकाई धर्मशाला से नहीं किया गया है। अतः इस सन्दर्भ में भी अपेक्षित कार्रवाई करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

21 **लघु आपत्ति विवरणीः–** यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई है।

22 **निष्कर्षः–** लेखों के रख रखाव में अत्याधिक सुधार एवं कड़े निरीक्षण की आवश्यकता है।

हस्ता / –
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(2)(सी)(15)(xii)35/2015–2721–2725 दिनांक23.05.2015, शिमला–09

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

पंजीकृतः–1 उप मण्डल अधिकारी एवं सचिव (आर0एल0ए0) ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करवाकर सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

2 जिलाधीश कांगड़ा स्थित धर्मशाला जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

3 निदेशक (परिवहन विभाग) हि0प्र0 शिमला–03

4 विशेष सचिव (परिवहन) हि0प्र0 शिमला–02

5 श्री मुकेश कुमार स्नेही, अनुभाग अधिकारी द्वारा..........................

हस्ता / –

उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.